THE BUSINESS DAILY FOR DAILY BUSINESS
FINANCIAL EXPRESS

कब्जा सूचना

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लि. एआरसीआईएल-2025-006-ट्रस्ट (एआरसीआईएल) के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत, के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित उधारकर्ताओं और बंधककर्ताओं को मांग नोटिस जारी किया, जिसमें सूचना में नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया था।

उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता(ओं) उक्त राशियों को चुकाने में विफल रहे हैं, विशेष रूप से उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को तथा आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता, जो एआरसीआईएल का प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियम के नियम 8 के साथ पठित नीचे उल्लिखित तिथि को "जहां है और जो कुछ भी है, के आधार पर" नीचे वर्णित अंतर्निहित अचल संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

क्र. सं.	कर्जदार और गारंटर का नाम/ ट्रस्ट का नाम/बैंक का नाम	मांग सूचना की तिथि/ कुल बकाया तिथि तक	कब्जा सूचना की तिथि और प्रकार
1	उधारकर्ताः बीना शुक्ला, अनिल कुमार शुक्ला, अमित कुमार और जाहिद खान (लैनः L1CP000005000315) Arcil -Trust-2025C-006	रु. 11,63,997/– (रुपये ग्यारह लाख तिरेसठ हजार नौ सौ सत्तान्वे मात्र) दिनांक 09–05–2025 तक, तथा दिनांक 10–05–2025 से उक्त राशि पर अनुबंधित दर से भविष्य का ब्याज, साथ ही आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि सहित देय नोटिस दिनांकः 09–05–2025	10.04.2026 (सांकेतिक कब्जा)
	संपत्ति का विवरणः बंधक रखी गई सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जिसका माप 675.00 वर्ग फुट जो भूमि संख्या 418, नाझरा पिपर खेड़ा, उन्नाव मोहल्ला श्री नगर पालिका, उन्नाव, उत्तर प्रदेश – 209861 जिसे इसके बाद 'अचल संपत्ति' के रूप में संदर्भित किया जाएगा।		
2	उधारकर्ताः सुबिया, मोहम्मद सुलेमान और सरवर हुसैन खान (लैनः HLP100003015) Arcil -Trust-2025C-006	रु. 5,45,398.12 (रुपये पाँच लाख पैतालीस हजार तीन सौ अठ्ठान्वे और पैसे बारह मात्र) दिनांक 30–06–2025 तक, तथा दिनांक 01–07–2025 से उक्त राशि पर अनुबंधित दर से भविष्य का ब्याज, साथ ही आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि सहित देय नोटिस दिनांकः 07–07–2025	10.04.2026 (सांकेतिक कब्जा)
	संपत्ति का विवरणः बंधक सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जिसका माप 900.000 वर्ग फुट है, खसरा संख्या – भूमि संख्या 72, भूमि संख्या 72 'ख', कटरी पिपर खेड़ा, उन्नाव, उत्तर प्रदेश – 209861 में स्थित जिसे इसके बाद "अचल संपत्ति" के रूप में संदर्भित किया जाएगा।		
3	उधारकर्ताः शफकत फातमा, मोहम्मद अफजल और मोहम्मद इरशाद (लैनः HLP100007945) Arcil -Trust-2025C-006	रु. 5,33,169.73 (रुपये पाँच लाख तैंतीस हजार एक सौ उनहत्तर और पैसे तिरेहत्तर मात्र) दिनांक 30.06.2025 तक, तथा दिनांक 01.07.2025 से उक्त राशि पर अनुबंधित दर से भविष्य का ब्याज, साथ ही आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि सहित देय नोटिस दिनांकः 07–07–2025	10.04.2026 (भौतिक कब्जा)
	संपत्ति का विवरणः बंधक सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जिसका माप 900.000 वर्ग फुट है, जो निजी प्लॉट भूमि संख्या 603 'ख' का भाग ग्राम – कटरी पिपर खेड़ा, परगना – हदाहा, तहसील एवं जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश – 209862 जिसे इसके बाद "अचल संपत्ति" के रूप में संदर्भित किया जाएगा।		
4	उधारकर्ताः प्रीति, राहुल कुमार और राम लखन (लैनः HLP100008618) Arcil -Trust-2025C-006	रु. 5,71,412.59 (रुपये पाँच लाख इकहत्तर हजार चार सौ बारह और पैसे उनसठ मात्र) दिनांक 02.07.2025 तक, तथा दिनांक 03.07.2025 से उक्त राशि पर अनुबंधित दर से भविष्य का ब्याज, साथ ही आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि सहित देय नोटिस दिनांकः 07–07–2025	10.04.2026 (भौतिक कब्जा)
	संपत्ति का विवरणः बंधक सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जिसका माप 900.000 वर्ग फुट जो भूमि संख्या 57 पर प्लॉट ग्राम – कटरी पिपर खेड़ा, परगना – हदाहा, तहसील – सदर, जिला – उन्नाव, उत्तर प्रदेश – 209861 जिसे इसके बाद "अचल संपत्ति" के रूप में संदर्भित किया जाएगा।		

विशेष रूप से उधारकर्ता/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) और सामान्य रूप से आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि एआरसीआईएल ऊपर उल्लिखित अचल संपत्ति के वैध कब्जे में है और सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(13) के तहत, उधारकर्ता/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) या किसी भी व्यक्ति को, इस नोटिस की प्राप्ति के बाद, बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण नहीं किया जाएगा, एआरसीआईएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना अचल संपत्ति को पट्टे पर देना या अन्यथा सौदा करना/हस्तांतरित करना और अचल संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन उपरोक्त राशि के लिए आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार आदि के साथ उपर्युक्त राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य के ब्याज के साथ एआरसीआईएल के प्रभार के अधीन होगा।

उपर्युक्त अचल संपत्ति के विमोचन के लिए उपलब्ध समय के संबंध में उधारकर्ता/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

स्थानः लखनऊ
दिनांकः 15.04.2026

हस्ता/-
प्राधिकृत अधिकारी,
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
Arcil Premier ARC
CIN: U65999MH2002PLC134884 वेबसाइटः www.arcil.co.in;
पंजीकृत कार्यालयः द रूबी, 10वीं मंजिल, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम) मुंबई-400028. फोन : +91 2266581300
शाखा कार्यालयः प्रथम तल, प्लॉट सं. सी 48, इजना टॉवर, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ - 226 010, उत्तर प्रदेश
फोनः 0522-4241603

Hinduja Housing Finance Limited

HINDUJA HOUSING FINANCE

कॉर्पोरेट कार्यालयः सं. 167-169, 2री मंजिल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई-600015, तमिलनाडु, भारत; शाखा कार्यालयः कार्यालय प्रथम तल, ओम पैलेस सिनेमा, 547, भगवान नगर, दिल्ली रोड, हापुड़ - 245101, उत्तर प्रदेश; प्राधिकृत अधिकारीःआरएलएम - हसमुद्दीन रजाः 8468898202; आरआरएम - हरीश यादवः 7060411785; सीएलएम -रवि -9999048581; सीआरएमः ललित पंवार झ 9837000044
ई-मेलः auction@hindujahousingfinance.com

निजी संधि के माध्यम से बिक्री की सूचना

वित्तीय परिसम्पत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002(सारफेसी अधिनियम) के अंतर्गत एचएचएफएल के पक्ष में प्रभारित अचल संपत्तियों की बिक्री

एचएचएफएल के अधिकृत अधिकारी के रूप में हस्ताक्षरकर्ता ने सारफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत अनुसूची में वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। आम जनता को सूचित किया जाता है कि उसके बकाये की वसूली के लिए एचएचएफएल को स्वीकार्य शर्तों पर अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति को "जैसी है जहां है और "जैसी है, वैसी" है आधार पर निजी संधि के माध्यम से बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है

निजी संधि के माध्यम से संपत्ति की बिक्री की मानक नियम और शर्तें इस प्रकार हैं: 1. निजी संधि के माध्यम से संपत्ति की बिक्री" जैसी है जहां है और "जैसी है, वैसी है" पर की जाएगी; 2. क्रेता को एचएचएफएल द्वारा सम्पत्ति की खरीद प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त होने के अगले कार्य दिवस पर 25% राशि जमा करनी होगी, और शेष राशि 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी; 3. क्रेता को उक्त उपबन्ध (2) के अनुसार प्रस्तावित राशि का 10% आवेदन के साथ जमा करना होगा, जो कि ऊपर उल्लिखित 25% राशि में समायोजित किया जाएगा; 4. यदि क्रेता उपरोक्त (2) शर्त के अनुसार राशि जमा करने में असफल रहता है, तो आवेदन के साथ भुगतान की गई 10% राशि सहित पहले से जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी; 5. यदि एचएचएफएल क्रेता के खरीद प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है, तो आवेदन के साथ भुगतान की गई 10% राशि बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी, 6. संपत्ति को एचएचएफएल को ज्ञात या अज्ञात, मौजूदा और भविष्य के सभी अधिभारो के साथ बेचा जा रहा है। अधिकृत अधिकारी / सुरक्षित ऋणदाता किसी भी तृतीय पक्ष के दावे, अधिकारों या देनदारियों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा; 7. क्रेता को संपत्ति (निजी संधि के माध्यम से बिक्री के तहत) से संबंधित सभी पहलुओं पर अपनी संतुष्टि के लिए उचित जांच-पड़ताल करनी होगी। क्रेता बाद की तिथि में अधिकृत अधिकारी/ सुरक्षित ऋणदाता के खिलाफ कोई दावा नहीं कर सकेगा; 8. एचएचएफएल बिना कोई कारण बताए किसी भी खरीद प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है; 9. यदि एक से अधिक प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, तो एचएचएफएल सबसे ऊंचे प्रस्ताव को स्वीकार करेगा; 10. इच्छुक पक्ष अधिक जानकारी/स्पष्टीकरण के लिए और अपना आवेदन जमा करने के लिए अधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।; 11. क्रेता को संपत्ति की खरीद के संबंध में सभी स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन शुल्क, कर, शुल्क और अन्य खर्चे का बहन करना होगा; 12. बिक्री सारफेसी अधिनियम /नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी;13.बिक्री की तिथि 30.04.2026 होगी।

ऋणकर्ता का विवरणः श्री दीपक गोयल, LAN NO. DL/BPR/ADHR/A000000014	आरक्षित मूल्य
संपत्ति का विवरण (सुरक्षित संपत्ति): प्लॉट नं. 88 का संपूर्ण हिस्सा और पार्सल, जिसका क्षेत्रफल 46.66 वर्ग गज (अर्थात 39.031 वर्ग मी.) है, जो मोहल्ला रणजीत नगर, परगना, तहसील और जिला हापुड़ में स्थित है। सीमाएं: पूर्वः प्लॉट नं. 88 का हिस्सा, पश्चिमः प्लॉट नं. 88 का हिस्सा, उत्तरः प्लॉट नं. 89, दक्षिणः रास्ता 16 फीट चौड़ा	रू. 5,00,000/– (पांच लाख रुपये मात्र)

स्थानःहापुड़, दिनांकः 13.04.2026 — अधिकृत अधिकारी-हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

SMFG India Credit

कॉर्पोरेट कार्यालयः 10वीं मंजिल, ऑफिस नं. 101, 102 और 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400051

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (1) के तहत)

जैसा की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय कॉमजीन आईटी पार्क, टॉवर-बी, पहली मंज़िल, नं. 111, माउंट पूनमल्ली रोड, पोरुर, चेन्नई–600116 में तथा कॉर्पोरेट कार्यालय 10वीं मंज़िल, कार्यालय सं. 101, 102 एवं 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई–400051 में है, के प्राधिकृत आधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमवाली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 24/01/2026 जारी कर ऋणधारको **1. मनोज कुमार (2) अनामिका मनोज कुमार (3) किरण देवी** को ऋण खाता सं. #214520911612048 के अंतर्गत, दिनांक 14/01/2026 **तक देय रु. 26,07,971.00/- (रुपये छब्बीस लाख सात हजार नौ सौ इकहत्तर मात्र)** की राशि वापस लौटने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणधारको को सूचित किया जाता है की आज दिनांक 11 **अप्रैल, 2026** को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से ऋण धारकों और आम जनता को सूचित किया जाता है की वे नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें और उक्त संपत्ति का किसी तरह का व्यवसाय 14/01/2026 **तक देय रु. 26,07,971.00/- (रुपये छब्बीस लाख सात हजार नौ सौ इकहत्तर मात्र)** तथा उस पर व्याज के लिए एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत संपत्ति को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ मे अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल संपत्ति का विवरण
संपत्ति के स्वामीः अनामिका पत्नी मनोज कुमार संपत्ति का विवरणः अरजी नं. 588 जुज भाग प्राइवेट प्लॉट नं. 7, रकबा 118 वर्ग मी. यानी 98.66 वर्ग मी., मौजा सचेंडी-चचेंडी, तहसील-1, कानपुर सदर, जिला कानपुर नगर। सीमाएंः पूर्वः दिगर अरजी, पश्चिमः प्राइवेट प्लॉट नं. 6, उत्तरः प्राइवेट प्लॉट नं. 8, दक्षिणः 20 फीट चौड़ी सड़क

दिनांकः 11-04-2026 — हस्ता./- अधिकृत अधिकारी,
स्थानः कानपुर (उ.प्र.) — एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कं. लि.

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

TATA

पंजीकृत कार्यालय : 11वां तल, टॉवर ए, पैनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल, मुंबई– 400013, सीआईएन नं. : U67190MH2008PLC187552

माँग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 ("नियमावली") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("अधिनियम") की धारा 13(2) के अंतर्गत।

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिनियम के अंतर्गत तथा नियमावली के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, पहले ही अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत विस्तृत माँग सूचनाएं दिनांकित निम्नानुसार निर्गत कर दी हैं, जिन सूचनाओं में ऋणकर्ता(ओं)/सह-ऋणकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) (सभी एकल रूप में अथवा संयुक्त रूप में "दायित्वधारकों यानी ऑब्लिगर्स" के रूप में संदर्भित)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों), जिनकी सूची नीचे दी गई है, सभी को संबंधित माँग सूचना/ओं में अंकित बकाया धनराशियों का, संबंधित सूचना/ओं की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार, भुगतान करने को कहा गया था। उक्त सूचनाओं की प्रतियाँ पंजीकृत डाक ए.डी. द्वारा प्रेषित की गई थीं तथा जो अब भी अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध हैं, तथा उक्त दायित्वधारक(गण)/विधिक उत्तराधिकारी(गण)/विधिक प्रतिनिधि(गण), यदि वे ऐसा करने के इच्छुक हैं, किसी भी कार्यदिवस पर सामान्य कार्यालय समयावधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता से संबंधित प्रति/यां प्राप्त कर लें।

उपरोक्त के संबंध में, एतद्द्वारा उक्त दायित्वधारक(कों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) को एक बार पुनः सूचित किया जाता है कि टीसीएचएफएल को, संबंधित सूचना/ओं की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, उनके संबंधित नामों के समक्ष यहां नीचे इसमें नीचे उल्लिखित धनराशियों का, उक्त दायित्वधारक(कों) द्वारा निष्पादित ऋण अनुबंध एवं अन्य प्रलेखों/आलेखों, यदि कोई, के साथ पठित, निम्न स्तंभ (घ) में अंकित संबंधित तिथियों से लेकर के भुगतान तथा/अथवा वसूली होने की तिथि तक आकलित होनेवाले निम्न विवरणितानुसार भावी ब्याज के साथ भुगतान करें। ऋण के नियत प्रतिभुगतान की प्रतिभूति के रूप में, उक्त दायित्वधारक(कों) द्वारा टीसीएचएफएल के पास क्रमशः निम्नलिखित प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) को बंधककृत किया गया है।

ऋण खाता सं.	दायित्वधारक(कों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम	कुल बकाया देयराशि (रु.) निम्न तिथियों के अनुसार	माँग सूचना की तिथि तथा एनपीए की तिथि
TCHHL0347000100062936	श्री आशुतोष कुमार श्रीवास्तव (ऋणकर्ता) और श्रीमती सारिका श्रीवास्तव (सह-ऋणकर्ता)	दिनांक 08/04/2026 के अनुसार, रु. 9,75,369/– (रुपये नौ लाख पिचहत्तर हजार तीन सौ उनहत्तर मात्र)	08–04–2026 और 05–04–2026
प्रतिभूत परिसंपत्तियों / अचल संपत्तियों / बंधककृत संपत्तियों का विवरण : आवासीय मकान संख्या 5/343 के समस्त भाग तथा अंश, जो रजनी खंड, शारदा नगर योजना, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में स्थित हैं, जिनका क्षेत्रमापन 30.00 वर्ग मीटर है, जो बिक्री विलेख में उल्लिखितानुसार सभी सामान्य सुविधाओं के साथ तथा निम्नानुसार परिसीमित है, सीमाएँ — पूर्व– मकान संख्या 5/342, पश्चिम– मकान संख्या 5/344, उत्तर– 6 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिण– मकान संख्या 5/344			
TCHHL0347000100069884 & TCHIN0347000100070463	श्री ओमेंद्र कुमार मिश्रा (ऋणकर्ता) और श्रीमती विनीता देवी और मैसर्स अनुराग कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर, अपने स्वामियों के माध्यम से (सह-ऋणकर्ता)	**दिनांक 08/04/2026 के अनसुसार, रु. 19,11,151/–** (रुपये उन्नीस लाख ग्यारह हजार एक सौ इक्यावन मात्र) आपके द्वारा ऋण खाता संख्या TCHHL0347000100069884 के अंतर्गत देय तथा भुगतानयोग्य है और रु. 1,84,294/– (रुपये एक लाख चौरासी हजार दो सौ चौरानबे मात्र) आपके द्वारा ऋण खाता संख्या TCHIN0347000100070463 के अंतर्गत देय तथा भुगतानयोग्य है और आपके द्वारा कुल रु. 20,95,445/– (रुपये बीस लाख पिचान्बे हजार चार सौ पैतालिस मात्र) देय है।	08–04–2026 और 05–04–2026
प्रतिभूत परिसंपत्तियों / अचल संपत्तियों / बंधककृत संपत्तियों का विवरण : खसरा संख्या 09 मिन. पर स्थित भूखंड पर निर्मित मकान सं. 2 के समस्त भाग तथा अंश, जिनका अभिमापन 814 वर्ग फुट या 75.62 वर्ग मीटर है, जो ग्राम सैदपुर जागीर, परगना लखनऊ, तहसील बख्शी का तालाब, जिला लखनऊ में स्थित, विक्रय विलेख में उल्लिखित सभी सामान्य सुविधाओं सहित तथा निम्नानुसार परिसीमित है, **सीमाएँ** :– पूर्व : मकान सं. 3, पश्चिम : मकान सं. 1, उत्तर : अन्य मकान, दक्षिण : 18 फीट चौड़ी सड़क।			

*संबंधित माँग सूचनाओं दिनांकित उपरोकित में अधिक विशिष्ट रूप में उल्लेखितानुसार दर पर भावी ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क इत्यादि जो कि भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक उपगत हैं। यदि उक्त दायित्वधारक(गण) उपर्युक्तानुसार टीसीएचएफएल को भुगतान करने में विफल होंगे, तो टीसीएचएफएल समग्र रूप में लागतों एवं परिणामों से संबंधित उक्त दायित्वधारक(कों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/ विधिक प्रतिनिधि(यों) के जोखिम पर उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्ति(यों)/अचल सम्पत्ति(यों) के विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 13(4) तथा लागू नियमावली के अंतर्गत कार्यवाई करेगी।

उक्त दायित्वधारक(कों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) को उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित किया जाता है कि वे टीसीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति-अनुमति के बिना विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा, उपर्युक्त प्रतिभूत परिसम्पत्ति(यों)/अचल सम्पत्ति(यों) का हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के प्रावधानों अथवा उनके अंतर्गत विरचित नियमावली का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन के लिए दुष्प्रेरित करता है, उसे अधिनियम के अंतर्गत उपलब्धानुसार कारावास दंड तथा / अथवा अर्थदंड दिया जायेगा।

दिनांक : 15.04.2026 — हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : लखनऊ — कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

---

pnb Housing Finance Limited
Ghar Ki Baat

परिशिष्ट -IV-ए - अचल संपत्ति/ संपत्तियों की ई-नीलामी-सार्वजनिक बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी-बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित।

रजि. कार्यालयः 9वीं मंजिल अंतरिक्ष भवन 22 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली- 110001 फोनः 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइटः www.pnbhousing.com

शाखा कार्यालय, वाराणसीः दूसरी मंजिल, तुलसी कॉम्प्लेक्स, सी–19/134, एम–बी, शास्त्री नगर, सिगरा, वाराणसी– 221010 यू.पी

आम जनता को, और विशेष रूप से कॉलम संख्या–ए में उल्लिखित उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि कॉलम संख्या–डी में वर्णित अचल संपत्ति (संपत्तियां), जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/बंधक है और जिसका रचनात्मक/भौतिक कब्जा (जैसा कि कॉलम संख्या–सी में वर्णित है) मेसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार "जैसा है, जहां है, जो है और जो कुछ भी उपलब्ध है" के आधार पर बेचा जाएगा। उधारकर्ता(ओं/बंधककर्ता(ओं)/कानूनी उत्तराधिकारियों, कानूनी प्रतिनिधि, (चाहे ज्ञात हो या अज्ञात), निष्पादक(ओं), प्रशासक(यों), उत्तराधिकारी(यों), समनुदेशिती(ओं) के उत्तराधिकारियों को, जैसा कि सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम–8 (6) और 9 के कॉलम संख्या–ए में दर्शाया गया है (दिनांक के अनुसार संशोधित), एतद्द्वारा सूचित किया जाता है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया मेसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी **www.pnbhousing.com** पर दिए गए लिंक को देखें।

ऋण संख्या उधारकर्ता/ सह– उधारकर्ता, /गारंटर/कानूनी उत्तराधिकारी (ए)	मांग की गई राशि एवं दिनांक (बी)	कब्जे की प्रकृति (सी)	गिरवी रखी गई संपत्तियों का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	ईएमडी (आरपी का 10 प्रतिशत) (एफ)	बोली जमा करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धिशील दर (एच)	निरीक्षण दिनांक एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ज्ञात अतिक्रमण /न्यायालय मामला यदि कोई हो (के)
HOU/VAR/0123/1071995 ओम प्रकाश खरवार/लक्ष्मी खरवार, बी.ओ.: वाराणसी	रु. 26,82,926.22 और 14/07/25	भौतिक कब्जा	खुला प्लॉट, आराजी संख्या 4, मौजा करवट, परगना पोसेस– रलहुपुर, तहसील मुगलसराय, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत, 232101, क्षेत्रफल– 2100 वर्ग फीट, जिसकी सीमाएँ और चौहद्दी इस प्रकार है: उत्तररू आराजी का हिस्सा, दक्षिणः आराजी का हिस्सा, पूर्वः श्रीराम और अन्य की जमीन, पश्चिमः 20 फीट चौड़ा रास्ता।	रु. 2,820,000	रु. 282,000	29/04/2026	रु. 10,000.00/–	20–04–2026 सुबह 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक	30–04–2026 दोपहर 2 बजे से शाम 3:00 बजे तक	ज्ञात नहीं

"अधिग्रहण और/या उसकी प्राप्ति की तिथि तक हुए 18ः की दर से अतिरिक्त ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि के साथ।"पीएन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, उपर्युक्त अचल/सुरक्षित संपत्तियों के संबंध में कॉलम संख्या–के में उल्लिखित के अलावा कोई अन्य भार/दावा नहीं है। इसके अतिरिक्त, ऐसे भारों का भुगतान सफल क्रेताध्बोलीदाता द्वारा स्वयं किया जाएगा। भावी क्रेता/बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे उल्लिखित भारों की सत्यता की स्वतंत्र रूप से जाँच करें। (1.) आज तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के अधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों/सुरक्षित संपत्तियों को बेचने, अलग करने और/या निपटाने से रोकने वाला कोई आदेश और/या अदालती निषेधाज्ञा नहीं है और स्थिति कॉलम संख्या–के में उल्लिखित है। (2.) संभावित क्रेता/बोलीदाता और इच्छुक पक्ष स्वतंत्र रूप से कॉलम संख्या–के में बताई गई कार्यवाही/पारित आदेशों आदि में दलील का निरीक्षण कर सकते हैं। जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध स्वामित्व से संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है और निविदा/बोली आवेदन पत्र जमा करने या प्रस्ताव देने से पहले सभी मामलों में खुद को संतुष्ट करते हैं। बोली लगाने वालों को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करना होगा। (3.) कृपया ध्यान दें कि सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का **25%** जमा करने के लिए बाध्य है, (इसमें शामिल है) बयाना राशि का) उसी दिन या अगले कार्य दिवस के बाद नहीं। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री का **25%** प्राप्त होने के बाद ही (बोली लगाने वालों) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। शेष **75%** बिक्री पुष्टिकरण पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता को बिक्री प्रतिफल राशि जमा करनी होगी और ऐसी जमा राशि में चूक होने पर, प्राधिकृत अधिकारी 15 दिनों के भीतर बिक्री प्रतिफल राशि का आंशिक भुगतान जब्त कर लेगा। बिक्री पुष्टिकरण पत्र में उल्लिखित 15 दिनों की अनिवार्य अवधि की समाप्ति की तारीख से संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति को सरफेसी अधिनियम (4.) मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अधिकृत अधिकारी को ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री आयोजित करने में सहायता करेगी। इसका कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट नंबर 68, तिसरी मंजिल , सेक्टर 44, गुड़गांव, हरियाणा 122003 में स्थित है। वेबसाइट – **www.bankeauctions.com** संपत्ति के निरीक्षण या बोली दस्तावेज प्राप्त करने से संबंधित किसी भी सहायता के लिए, और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण के लिए, आपको अमित कुमार सिंह, से संपर्क करना होगा। टोल फ्री नंबर – 1800 120 8800, ईमेलः **auction@pnbhousing.com**, जो पीएनबीएचएफएल के अधिकृत व्यक्ति हैं, या **www.pnbhousing.com** देखें।

स्थानः– वाराणसी, , दिनांकः – 14.04.2026 — हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

HDFC BANK
We understand your world

पंजीकृत कार्यालयः एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई – 400 013
जिसका एक कार्यालय है: रिटेल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, 1 ला तल, आई-थिंक टेक्नो कैंपस, कांजुरमार्ग (ईस्ट), मुंबई – 400042

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के पास गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों की बिक्री की जानकारी और सूचना

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड ("बैंक") के नीचे उल्लेखित उधारकर्ताओं को यह अधिसूचित किया जाता है कि उन्होंने बैंक के पास गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों के माध्यम से ऋण/ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त की थी, जिसकी बिक्री की जा रही है।

उधारकर्ताओं द्वारा स्वीकृत ऋण/सुविधा की शर्तों के अनुसार बकाया राशि के भुगतान में लगातार चूक के कारण, नीचे दिए गए ऋण खाते अब डिफॉल्ट की स्थिति में हैं। बैंक ने इन उधारकर्ताओं को कई बार सूचना भेजे हैं, जिसमें नीचे उल्लेखित दिनांक को अंतिम बिक्री सूचना भी शामिल है जिसमें, बैंक ने गिरवी प्रतिभूतियों को रद्द किया था और उधारकर्ता को नीचे दिए गए खातों में पूरी बकाया राशि चुकाने के लिए 7 दिनों का समय दिया था,जिसमें विफल होने पर, बैंक को इस संबंध में आगे कोई सूचना जारी किए बिना गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों को बेचने की स्वतंत्रता होगी।

उधारकर्ताओं ने मांग सूचना की अनदेखी की और उसका भुगतान नहीं किया है, इसलिए बैंक ने ऋण अनुबंध के अन्तर्गत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए निर्णय लिया है कि 22 अप्रैल 2026 को या उसके बाद गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों को बेचा / निपटारा किया जाएगा, ताकि उधारकर्ताओं से बैंक की बकाया राशि की वसूली की जा सके। साथ ही, उधारकर्ताओं को यह भी सूचित किया जाता है किवे इसे भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 176 के अनुपालन में बिक्री का नोटिस मानें। उधारकर्ताओं को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी समय शेयर बाजार में अस्थिरता के कारण गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों का मूल्य और अधिक गिर जाता है और मार्जिन आवश्यकता में और कमी आती है, तो बैंक अपने विवेकाधिकार से केवल एक (1) कैलेंडर दिन के भीतर बिना किसी अतिरिक्त सूचना के प्रतिभूतियों को बेच सकता है। बिक्री से प्राप्त राशि के समायोजन के बाद गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों की बिक्री से यदि किसी भी शेष राशि का भुगतान बचा रहता है, तो उसे बैंक को चुकाने की जिम्मेदारी उधारकर्ता की होगी।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	उधारकर्ता का नाम	12 अप्रैल 2026 तक बकाया राशि	बिक्री सूचना की तिथि
1	XXXXXXXXXX5932	मुनि कुमार	12,13,369.00	13-04-2026
2	XXXXXXXXXX5533	नंदन खुराना	10,06,861.99	13-04-2026
3	XXXXXXXXXX8002	मोहम्मद अनस	2,141.00	13-04-2026
4	XXXXXXXXXX8077	तौकीर अखलाक	44,980.67	13-04-2026
5	XXXXXXXXXX8261	मनीष गिरी	23,574.80	13-04-2026
6	XXXXXXXXXX1631	अभिषेक कुमार	2,544.06	13-04-2026

दिनांक:15.04.2026 | स्थानः उत्तर प्रदेश — हस्ता/-, एचडीएफसी बैंक लि.

HDFC BANK
We understand your world

पंजीकृत कार्यालयः एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई – 400013 और जिसका एक कार्यालयः रिटेल पोर्टफोलियो प्रबंधन, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, पहली मंजिल, I-थिंक टेक्नो कैंपस, कांजुरमार्ग (पूर्व), मुंबई – 400042

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को बंधक रखी गई प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना और सार्वजनिक सूचना

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड ("बैंक") के नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं को प्रतिभूतियों के खिलाफ ऋण/ओवरड्राफ्ट की रूप में क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए बैंक को बंधक रखी गई प्रतिभूतियों की बिक्री के संबंध में सूचित किया जाता है।

ऋण की शर्तों के अनुसार बकाया राशि का भुगतान करने में उधारकर्ताओं द्वारा लगातार चूक के कारण, नीचे दिए गए ऋण खाते बकाया स्थिति में हैं। बैंक ने इन उधारकर्ताओं को कई नोटिस जारी किए हैं, जिसमें नीचे उल्लिखित तिथि पर अंतिम बिक्री नोटिस भी शामिल है, जिसके तहत बैंक ने गिरवी को लागू किया था और उधारकर्ता को नीचे दिए गए खातों में संपूर्ण बकाया राशि चुकाने के लिए 7 दिनों का समय दिया था, ऐसा न करने पर, बैंक इस संबंध में आगे कोई नोटिस जारी किए बिना गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों को बेचने के लिए स्वतंत्र होगा।

उधारकर्ताओं ने देय पुनर्भुगतान करने में उपेक्षा की है और असफल रहे हैं, इसलिए, बैंक ने ऋण समझौते के तहत एक गिरवीदार के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उधारकर्ताओं द्वारा बैंक को देय बकाया राशि की वसूली के लिए 22 अप्रैल, 2026 को या उसके बाद प्रतिभूतियों को बेचने/निपटान करने का निर्णय लिया है। उधारकर्ताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, यदि किसी भी समय, गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों का मूल्य शेयर बाजार में अस्थिरता के कारण और गिर जाता है जिससे मार्जिन आवश्यकता में और कमी आती है तो बैंक अपने विवेक पर एक (1) कैलेंडर दिवस के भीतर गिरवी रखी गई प्रतिभूति को इस संबंध में कोई और सूचना दिए बिना बेच देगा। उधारकर्ता गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त आय के समायोजन के बाद, शेष बकाया राशि के पुनर्भुगतान के लिए बैंक के प्रति उत्तरदायी रहेगा।

क्र. सं.	ऋण खाता नं.	कर्जदार का नाम	दिनांक 12.04.2026 तक कुल बकाया राशि (भारतीय रु. में)	बिक्री सूचना की तिथि
1	XXXXXXXXXX9225	अनूप कुमार गुप्ता	9,378.47	13-04-2026
2	XXXXXXXXXX5680	अवनीश कुमार	10,02,116.09	13-04-2026
3	XXXXXXXXXX7924	पिंकी त्यागी	2,144.00	13-04-2026
4	XXXXXXXXXX6972	श्याम आलोक	1,11,184.53	13-04-2026
5	XXXXXXXXXX9149	बाबर बिन अफाक	7,391.13	13-04-2026
6	XXXXXXXXXX6126	सुधा श्रीवास्तव	1,43,034.24	13-04-2026
7	XXXXXXXXXX5997	आलोक पांडे	2,135.00	13-04-2026
8	XXXXXXXXXX6680	रत्नेश चंद्र वर्मा	58,316.91	13-04-2026
9	XXXXXXXXXX8269	इकराम हैदर	9,99,141.51	13-04-2026
10	XXXXXXXXXX4504	दिनेश ग्रोवर	6,413.75	13-04-2026
11	XXXXXXXXXX3014	अंकित पांडे	3,89,077.00	13-04-2026
12	XXXXXXXXXX7888	परवीन गुप्ता	6,46,880.63	13-04-2026
13	XXXXXXXXXX8757	टिंकू सुराना	10,06,175.46	13-04-2026
14	XXXXXXXXXX6737	अरुण कुमार दीक्षित	9,13,920.06	13-04-2026
15	XXXXXXXXXX3245	प्रभा देवी दीक्षित	13,818.50	13-04-2026
16	XXXXXXXXXX5044	गौरव गोयल	2,082.25	13-04-2026
17	XXXXXXXXXX8185	अजित कुमार पाठक	9,88,239.62	13-04-2026
18	XXXXXXXXXX7207	नीलम सिंह	321.99	13-04-2026
19	XXXXXXXXXX9235	रिंकी मिश्रा	2,36,988.82	13-04-2026
20	XXXXXXXXXX5044	अजय सिंघल	2,07,126.51	13-04-2026
21	XXXXXXXXXX5899	रंजीत कुमार	1,61,586.45	13-04-2026
22	XXXXXXXXXX0312	बृजेन्द्र तिवारी	1,28,058.24	13-04-2026
23	XXXXXXXXXX8162	विदित कपूर	1,20,000.00	13-04-2026
24	XXXXXXXXXX1293	चेतन अरोड़ा	3,35,061.58	13-04-2026
25	XXXXXXXXXX4382	प्रेरणा शर्मा	9,087.00	13-04-2026
26	XXXXXXXXXX8931	अमित शंकर कश्यप	2,21,374.86	13-04-2026
27	XXXXXXXXXX9493	राहुल कनौजिया	14,64,243.86	13-04-2026
28	XXXXXXXXXX4869	शकुन खन्ना	2,075.71	13-04-2026
29	XXXXXXXXXX0390	अंजू	3,47,679.73	13-04-2026
30	XXXXXXXXXX4626	ज्योति वशिष्ठ	5,119.00	13-04-2026
31	XXXXXXXXXX2299	सुनील कुमार	4,659.61	13-04-2026
32	XXXXXXXXXX0230	विपुल गर्ग	4,406.20	13-04-2026
33	XXXXXXXXXX0145	वैभव सिंघल	1,49,591.60	13-04-2026
34	XXXXXXXXXX5025	गौरव मेहरोत्रा	78,488.95	13-04-2026
35	XXXXXXXXXX8030	हेमवंती देवी	2,08,510.01	13-04-2026
36	XXXXXXXXXX7911	अविनाश कुमार मधेशिया	5,67,118.67	13-04-2026
37	XXXXXXXXXX3670	कमल शर्मा	6,263.99	13-04-2026
38	XXXXXXXXXX0118	मालती झा	1,926.60	13-04-2026
39	XXXXXXXXXX3112	कबीर बसु ठाकुर	31,707.69	13-04-2026
40	XXXXXXXXXX3063	मनीष श्रीवास्तव	2,64,999.14	13-04-2026
41	XXXXXXXXXX1037	स्वागत बसु ठाकुर	3,16,772.62	13-04-2026
42	XXXXXXXXXX5226	विजय लक्ष्मी सिंह	3,22,406.40	13-04-2026
43	XXXXXXXXXX0680	सतीश कुमार तोमर	2,122.96	13-04-2026
44	XXXXXXXXXX8356	दीपाली कपूर सूरी	3,83,209.55	13-04-2026
45	XXXXXXXXXX4972	मुकुल अग्रवाल	62,015.74	13-04-2026
46	XXXXXXXXXX0637	अंजू अग्रवाल	3,837.24	13-04-2026
47	XXXXXXXXXX8900	मुन्ना कुमार	1,35,078.76	13-04-2026
48	XXXXXXXXXX5024	सुमित गुंबर	22,097.82	13-04-2026
49	XXXXXXXXXX4534	राजेश कुमार चतुर्वेदी	38,737.76	13-04-2026
50	XXXXXXXXXX1791	सिंधु देवी	10,08,130.00	13-04-2026
51	XXXXXXXXXX7220	रविंदर सिंह डसीला	399.55	13-04-2026
52	XXXXXXXXXX3166	सुरेश सिंह	60,468.82	13-04-2026
53	XXXXXXXXXX9382	रमेश चंद्र शर्मा	1,972.15	13-04-2026
54	XXXXXXXXXX2549	हरजोत कौर मरवाहा	2,167.27	13-04-2026
55	XXXXXXXXXX5478	गगन दीप सिंह	9,91,888.62	13-04-2026
56	XXXXXXXXXX4672	बलविंदर कौर	9,90,940.82	13-04-2026

दिनांकः 15.04.2026, स्थानः उत्तर प्रदेश — हस्ता/– एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड

ADITYA BIRLA CAPITAL

पंजीकृत कार्यालयः इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात–362266
कॉर्पोरेट कार्यालयः 12वीं मंजिल, आर टेक पार्क, निरलोन कॉम्प्लेक्स, हब मॉल के पास, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई–400063, महाराष्ट्र

ई–नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए 15 दिनों की नीलामी बिक्री सूचना,

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण– अहमदाबाद द्वारा 24.03.2025 को पारित आदेश में विधिवत दर्ज दिनांक 11.03.2024 की समामेलन योजना के तहत आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड और आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड के बीच समामेलन के कारण, बंधक संपत्ति के संबंध में **आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड** द्वारा शुरू की गई सभी सरफेसी कार्रवाइयां, समामेलित कंपनी आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड को हस्तांतरित हो जाती हैं।

इसलिए **आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता ने निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह–उधारकर्ता से अतिरिक्त शुल्क और लागत के साथ नीचे उल्लिखित देय राशि के लिए सुरक्षित लेनदार के सुरक्षित ऋणों की वसूली के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी) की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसार निम्नलिखित सुरक्षित संपत्तियों का कब्जा ले लिया था। इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ताओं और सह–उधारकर्ताओं को सूचना दी जाती है कि आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड को देय ऋणों की वसूली के लिए निम्नलिखित संपत्ति की ई–नीलामी **"जैसा है जहां है" "जैसा है जो है" और "जो कुछ है"** के आधार पर आयोजित की जाएगी।

ई–नीलामी की तिथि और समयः 30.04.2026 को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे के बीच।
केवाईसी और बयाना धरोहर जमा (ईएमडी) प्राप्त करने की अंतिम तिथिः: 29.04.2026

क्रं. सं.	उधारकर्ताओं और सह–उधारकर्ताओं का नाम	संपत्तियों/सुरक्षित संपत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु. में)	बयाना राशि जमा (ईएमडी) (रु में)/वृद्धिशील मूल्य (रु.में)	मांग सूचना दिनांक और कुल राशि (रु.में)
1.	1. **यूथ एंड स्टाइल, इसके मालिक मोहम्मद आरिफ** के माध्यम से 2. **मोहम्मद आरिफ, पुत्र मोहम्मद सईद** 3. **मोहम्मद आरिफ** (स्वर्गीय आमना, पत्नी मोहम्मद सईद के कानूनी उत्तराधिकारी/अधिकृत प्रतिनिधि) 4. **मोहम्मद तारिक, पुत्र मोहम्मद सईद** 5. **मोहम्मद तारिक** (स्वर्गीय आमना, पत्नी मोहम्मद सईद के कानूनी उत्तराधिकारी/अधिकृत प्रतिनिधि) 6. **शमा परवीन, पत्नी मोहम्मद तारिक** लैनः **ABLNWSTS000000584926**	गन्नेवाली गली, वार्ड–अमीनबाद, तहसील और जिला–लखनऊ में स्थित, नगरपालिका क्रमांक 100/137 वाले मकान का वह समस्त टुकड़ा एवं अंश, जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग फुट (अर्थात 111.524 वर्ग मीटर) है, और निम्नलिखित सीमाओं से घिरा हैः पूर्वः 8 फुट चौड़ी सड़क, पश्चिमः मुसाई घोसी आदि का मकान, उत्तरः मदार का मकान, दक्षिणः हुसैन बख्श (वर्तमान में मोहम्मद शफी) का मकान।	**रु.44,80,515/–** (चौवालीस लाख अस्सी हजार पांच सौ पंद्रह रुपये मात्र)	**रु.4,480,52/–** (चार लाख अड़तालीस हजार बावन रुपये मात्र) **रु. 25,000/–** (रुपये पच्चीस हजार मात्र)	**30.09.2024 एवं दिनांक 14.09.2024 तक 48,75,092/– रुपये** (केवल अड़तालीस लाख पचहत्तर हजार बानवे रुपये)।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड / सिक्योर्ड क्रेडिटर की वेबसाइट यानी **https://abfl.adityabirlacapital.com/Pages/Individual/Properties-for-Auction-under-SARFAESI-Act.aspx or https://BidDeal.in पर दिए गए लिंक को देखें। संपर्क नंबरः आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड,** प्राधिकृत अधिकारी :आशीष श्रीवास्तव (9696515559),परनीत सिंह (9720029337),अपूर्व दंती (9930909725),वेद प्रकाश मिश्रा–मोबाइल नं. (90040 26790),मोहित शर्मा (9873913955), कोमल पाटिल(9867895795),श्री जहीरुल लस्कर : मोबाइल नं.(97060 03075) से संपर्क कर सकते हैं।

स्थानः लखनऊ, उत्तर प्रदेश, दिनांकः 15.04.2026 — हस्ता./–प्राधिकृत अधिकारी, आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड

सार्वजनिक सूचना
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
बनाम
राहुल शर्मा एवं अन्य
के मामले में
माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित
वाणिज्यिक मध्यस्थता आवेदन संख्या 653 का 2025

प्रेषकः श्री ए. एच. लड्डाड
प्रथोनोटरी एवं सीनियर मास्टर,
उच्च न्यायालय, ओ.एस बॉम्बे–400032
ossuitboard@gmail.com

सेवा में,
1. राहुल शर्मा
एच नं. 629, 2री मंजिल, गुरु रामदास नगर, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली–110092
ईमेलः rahul868@live.com | मोबाइलः 9873811391
अन्य पताः जेनपैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जेनपैक्ट एसईजेड, टावर–अ1, सिलोखेरा सेक्टर–30, गुड़गांव–122001, हरियाणा
अन्य पताः ई–3/389, विनय खंड–3, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226010
अन्य पताः यूनिट नं. 2203, 22वीं मंजिल, टावर ट्रेंच, रिदम काउंटी जीएच–16ई, सेक्टर–1, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश–201308
2. सुरेश कुमार शर्मा
एच नं. 629, 2री मंजिल, गुरु रामदास नगर, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली–110092
अन्य पताः ई–3/389, विनय खंड–3, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226010
अन्य पताः यूनिट नं. 2203, 22वीं मंजिल, टावर ट्रेंच, रिदम काउंटी जीएच–16ई, सेक्टर–1, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश–201308
3. फ्यूचरवर्ल्ड ग्रीनहोम्स प्रा. लि.
डी–44, सेक्टर–59, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश
अन्य पताःएम6, एस/एफ, कालकाजी, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली–110019
अन्य पताः प्लॉट नं. जीएच–16ई, सेक्टर–1, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश–201308

महोदय,

मुझे आपको सूचित करना है कि उपरोक्त मामला 11 मार्च 2026 को माननीय न्यायालय (कोरमः संदीप मार्ने जे.) के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था और उनके प्रभुत्व ने रजिस्ट्री को आपके नाम नोटिस जारी करने का निर्देश दिया था, जो 27 अप्रैल 2026 को प्रतिदेय है। आपकी जानकारी और आवश्यक अनुपालन के लिए दिनांक 11 मार्च 2026 के आदेश की एक प्रति इसके साथ संलग्न है।

अतः, आपको उपरोक्त आदेश पर ध्यान देने और 27 अप्रैल 2026 को सुबह 11.00 बजे और उसके बाद जब भी मामला सुनवाई के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए माननीय श्री न्यायमूर्ति संदीप मार्ने के समक्ष, कोर्ट रूम नं. 21ए, 1ली मंजिल, उच्च न्यायालय, एनेक्स्ड बिल्डिंग में, स्वयं या बॉम्बे उच्च न्यायालय के मूल पक्ष पर अभ्यास करने के हकदार अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

कृपया ध्यान दें कि यदि आपकी ओर से न तो आप स्वयं उपस्थित होते हैं और न ही आपके द्वारा विधिवत अधिकृत और निर्देशित इस माननीय न्यायालय का कोई अधिवक्ता उपस्थित होता है, तो मामले की सुनवाई आपकी अनुपस्थिति में की जाएगी और उस पर निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में भविष्य में रजिस्ट्री द्वारा कोई और सूचना नहीं दी जाएगी, भले ही मामला किसी भी कारण से किसी अन्य तारीख के लिए स्थगित किया जाए, जब तक कि माननीय न्यायालय द्वारा कोई विशिष्ट निर्देश न दिए जाएं।

दिनांकः 02 अप्रैल 2026 — कृते प्रथोनोटरी एवं सीनियर मास्टर
संलग्नकः आदेश दिनांक 11/03/2026 की प्रति — सूट बोर्ड विभाग

कार्यालय नगर पंचायत खुदागंज, शाहजहाँपुर।

पत्रांकः 11/न0पं0खुदा0/2026–27 — **निविदा सूचना** — दिनांकः 13.04.2026

समस्त ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत खुदागंज जनपद शाहजहाँपुर में 15वाँ वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से कराये जाने वाले विकास कार्यो हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा संबंधि नियम एवं शर्तो की जानकारी कार्यालय नगर पंचायत खुदागंज से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। कार्य से संबंधित विवरण निम्नवत् हैः–

क्र. सं.	जनपद का नाम	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (जी0एस0टी0 रहित रू0 में)	विड सिक्योरिटी (ई0एम0डी0) (रू0 में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य जी0एस0टी0 सहित	कार्य पूर्ण करने की अवधि वर्षा ऋतु सहित
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	शाहजहाँपुर	वेस्ट वॉटर मैनेजमेंट के अन्तर्गत रमेश की दुकान से सत्तौना वाली पुलिया तक नाली निर्माण कार्य।	511623.00	10232.00	513+92= 605.00	01 माह

1. निविदा सूचना में अंकित, कार्यालय में बिड डाक्यूमेंट की उपलब्धता की तिथि 15.04.2026 समय प्रातः 10:00 बजे से
2. निविदा प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि, समय व स्थान 21.04.2026 समय सायं 02:00 बजे तक
3. निविदा खोलने की तिथि एवं समयः 21.04.2026 समय सांय 04:00 बजे

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत खुदागंज,
शाहजहांपुर।